छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-13

नवा रायपुर अटल नगर, बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

2. बहिर्गमन

बालोद जिले में जम्बूरी आयोजन में अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. प्रश्नकाल (क्रमशः)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 02, 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या-03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री बघेल लखेश्वर के स्थान पर श्री विक्रम मण्डावी सदस्य अधिकृत रहे।

4. बहिर्गमन

राज्य के जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

बुधवार, 18 मार्च, 2026

5. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 04, 05, 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित एवं 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

6. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिये), तथा

(2) श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25, **पटल पर रखे।**

8. पृच्छा

सर्वश्री ब्यास कश्यप, रामकुमार यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, दिलीप लहरिया, सदस्य ने विविध विषयों की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री विक्रम उसेण्डी, सदस्य ने वनमण्डल भानुप्रतापपुर अंतर्गत अवैध पेड़ कटाई एवं ग्रामीण मार्ग में हैवी माईन्स गाड़ियों के परिचालन के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गुरू खुशवंत साहेब, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
2. श्री सुशांत शुक्ला
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री मोतीलाल साहू
5. श्री भूलन सिंह मराबी

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026)

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक-1 सन् 2026) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक-1 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री किरण देव, देवेन्द्र यादव, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

(माननीय सभापति ने सभा की सहमति से विनियोग विधेयक के पारण होने हेतु सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, सुशांत शुक्ला,

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत,

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर श्री उमेश पटेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) प्रस्तुत किये जाने के पूर्व आपत्ति की कि प्रस्तुत विधेयक में वित्तीय हानि संभावित है, अत: विधेयक में वित्तीय ज्ञापन संलग्न होना चाहिए।

तत्संबंध में राजस्व मंत्री, श्री टंकराम वर्मा एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सभा को अवगत कराया कि चूंकि विधेयक में केवल प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है एवं विनियोग विधेयक में इसके लिए प्रावधान किया गया है, अत: इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

(4) छत्तीसगढ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री दीपेश साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 5 के उप पद (5) एवं (6) का कार्य आगामी दिवस में लिये जाने की घोषणा की)

(सायं 7.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 (फाल्गुन 28, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा